



9.7.24

पत्रावली पेश। वकील प्रथमपदा पत्रावली पेश
का रिपोर्ट 1/24 पत्रावली 9/7/24 को पेश की गई।
दिनांक 13/8/24 को पेश हो। *ADP*

13/8/24

पत्रावली पेश। प्रकरण में अपीलाट/रिस्पोंडेंट के
अधिवक्ता ने बहस हेतु समझ चाहा, जो दिया गया
पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 6.9.24 को पेश
हो। *ADP*

6.9.24

पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ ने आज
न्यायिक कार्य स्थागित रखा। पत्रावली पूर्व
आज्ञानुसार दिनांक 8/10/24 को पेश हो।

8/10/24

पत्रावली पेश। अपीलाट/रिस्पोंडेंट के अधिवक्ता ने
जाहिर किया है कि यह अपील धारा 212 में पारित आदेश
के विरुद्ध धारा 225 में प्रस्तुत की गई है। इस प्रकरण
में मूलवाद का निस्तारण विचारण न्यायालय द्वारा किया
जा चुका है। ऐसी स्थिति में यह अपील प्रभावहीन हो
चुकी है इसे खारिज किया जावे। चूंकी विचारण
न्यायालय में मूलवाद खारिज हो चुका है अतः यह
अपील प्रभावहीन हो चुकी है। फलस्वरूप अपील
अपीलाट प्रभावहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय
सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर
नम्बर से क. होकर बाद तरजीब तकमील दाखिल
शफतर हो। *ADP*

भूप्रबन्ध अधिकारी एवं
पटन राजसभ अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प इन्चार्ज)